

477

144

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर दिनांक 02.8.2013

अधिसूचना

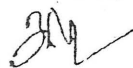
राजस्थान स्टांप अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (सीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन के लिए निर्धारित समयवाची आयुक्त निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों से पूर्णतः पुराने निष्पादित विलेख/लिखत दिनांक 30.6.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ऐसा मिलने पर निम्न प्रकार रजम रजम पर देय स्टांप ड्यूटी प्रत्येक सम्पत्ति के वाजिर हुक के समान पर निम्न प्रकार रजम रजम कर दी जायेगी।

सं.	विवरण	देय स्टांप ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत जो पुनर्वध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत जो पुनर्वध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं बार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत जो पुनर्वध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा व्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी एवं अदा की जा चुकी स्टांप ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-53)

राज्यपाल के आदेश से.



(आदित्य पारीक)

राज्यपाल शासन सचिव

(424)

145

प्रांतीय निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महोदय, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को जराबखर्च राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनाथी। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मग मिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।

2. प्रमुख सचिव, मा मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग।
12. संक्षेप प्रकाशनी।


संयुक्त शासन सचिव